



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-689

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 277503 दिनांक 13/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Navratan Meena W/o SURESH KUMAR MEENA	मोहन केसवानी पुत्र अर्जुन केसवानी	33-A	100.00 SQ. YARD	Cooperative	ASHOK VIHAR (SHIV SANKAR GNSS)	Name Transfer	शिव शंकर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना अशोक विहार के भूखण्ड संख्या 33-ए क्षेत्रफल 100.00 व.ग. का फ्रीहोल्ड पट्टा विलेख मोहन केसवानी पुत्र अर्जुन केसवानी के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.11.2022 को मोहन केसवानी पुत्र अर्जुन केसवानी को मैसर्स रिद्धी-सिद्धी बिल्डर्स जेरिये प्रोपराईटर जयकिशन बडकेशिया पुत्र जीवन राम बडकेशिया को कर दिया गया।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2023 को मैसर्स रिद्धी-सिद्धी बिल्डर्स जेरिये प्रोपराईटर जयकिशन बडकेशिया पुत्र जीवन राम बडकेशिया द्वारा नवरतन मीणा पुत्र सुरेश कुमार मीणा को कर दिया गया। आवेदक द्वारा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के मूल दस्तावेज बैंक में रहन है। अतः पत्रावली अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Navratan Meena W/o SURESH KUMAR MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004